ज्ञापसं0–14/अ0एल0ए0 (भारत–नेपाल सीमा पथ)–प0 चम्पारण–153/2013–2372/रा0, पटना–15 दिनांक–26/09/2013

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
भू–अर्जन निदेशालय

अधिसूचना

पटना, दिनांक– ....

स0डी0 एल0 ए0 प0 चम्पा0 ....रा0 चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–भंगहा, परगना– मझौवा, थाना– शिकारपुर (मैनाटॉड), जिला प0 चम्पारण में सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात– भारत–नेपाल सीमा सड़क परियोजना के टू लेन सड़क निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपयुक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम– भंगहा नं0 232 के भीतर कमोवेश 23 बीघा 12 कठ्ठा 19 धुर का जो मानक माप से 07.82 एकड़ के बराबर होता है एक भू–खण्ड अपेक्षित है, जिसका अंश खेसरा संख्या– 956, 957, 930, 924, 1366, 1367, 1480, 1365, 1353, 1477, 1351, 1481, 1378, 1380, 1381, 1382, 1385, 1386, 1387, 1389 एवं 1390 है, तथा इस भू खण्ड की चौहदी निम्न प्रकार है:–

खण्ड– 'क'

उत्तर :–
दक्षिण :– } पूर्ण खेसरा संख्या– 1364।
पूरब :–
पश्चिम :– अंश खेसरा संख्या– 956 और 957।

खण्ड– 'ख'

उत्तर :–
दक्षिण :– } पूर्ण खेसरा संख्या– 1388।
पूरब :–
पश्चिम :– अंश खेसरा संख्या– 1353।

खण्ड– 'ग'

उत्तर :–
दक्षिण :– } पूर्ण खेसरा संख्या– 1388।
पूरब :–
पश्चिम :– अंश खेसरा संख्या– 1353, 1477 एवं 1351।

खण्ड– 'घ'

उत्तर :– अंश खेसरा संख्या– 930।
दक्षिण :– ग्राम– नगरदेही नं0– 244 की सीमा रेखा।
पूरब :– पूर्ण खेसरा संख्या– 928, 927 एवं अंश खेसरा संख्या– 930, 924, 1366, 1367, 1480, 1481, 1378, 1380, 1381, 1382, 1365, 1385, 1386, 1387 एवं 1390।
पश्चिम :– पूर्ण खेसरा संख्या– 933,1364,1388 एवं अंश खेसरा संख्या– 930,1365,1387,1389 एवं 1390।

यह अधिसूचना भू–अर्जन अधिनियम 1–1894 की धारा 4 एवं भू–अर्जन संशोधित अधिनियम 1984 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो।

उक्त भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार सरकार, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया और उनके स्टाफ तथा इस परियोजना के आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे कार्यपालक अभियन्त, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, बेतिया के पदाधिकारियों और स्टाफ को प्राधिकृत करती है कि वे भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण करें, तथा उक्त अधिनियम कि धारा 4 की उप धारा (2) में यथा उपबन्धित या यथा विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें।

और चूकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि कृषि योग्य 07.82 एकड़ है, तथा उसका तुरंत अर्जन आवश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (4) के अधीन निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 'अ' के उपबन्ध उक्त भूमियों पर लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्पाल के आदेश से

स मा ह र्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया

सरकार के अवर सचिव

ज्ञा0सं0–14/डी0एल0ए0 (भारत–नेपाल सीमा पथ)–प0 चम्पारण–153/2013–2372/रा0, पटना–15 दिनांक–26/09/2013

ज्ञापांक ..../ डी0एल0ए0 प0 चम्पा0, पटना, दिनांक ..../........../2013

प्रतिलिपिः– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी0डी0 सहित) दो दैनिक सामचार पत्रों जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनाथ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को जिला गजट के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोंपरान्त 10 प्रतियाँ जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आयुक्त तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/9/13

सरकार के उप सचिव